न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस

म्यूटेशन अपील संख्या –03/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
कमलकिशोर पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी पीपलिया तहसील खींवसर जिला नागौर		1. मगाराम पुत्र जेठाराम 2. चुनाराम पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी पींपलिया तहसील खींवसर जिला नागौर 3. इमा पुत्री जेठाराम पत्नि बीजाराम जाति जाट निवासी आकला तहसील खींवसर जिला नागौर 4. माडु पुत्री जेठाराम पत्नि नथाराम जाति जाट निवासी कांटिया तहसील खींवसर जिला नागौर 5. हीरा पुत्री जेठाराम पत्नि जुगताराम जाति जाट निवासी हेमपुरा तहसील खींवसर जिला नागौर 6. रूपा पुत्री जेठाराम पत्नि भोमाराम जाति जाट निवासी हेमपुरा तहसील खींवसर जिला नागौर 7. रमा पुत्री जेठाराम पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी सियोलनगर चाडी तहसील फलोदी जिला जोधपुर 8. नवलाराम पुत्र बुधाराम जाति जाट निवासी पींपलिया तहसील खींवसर जिला नागौर 9. तहसीलदार खींवसर

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री बाबूलाल भादू।
2. रेस्पोडेन्ट्स संख्या 9 की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय दिनांक : 19-7-2018

अपीलांट ने यह अपील 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। अपीलान्ट द्वारा वाके मौजा पींपलिया के खसरा नम्बर 1535/2925, 1652, 1653, 1535 के संबंध में म्यूटेशन संख्या 731 जो तहसीलदार खींवसर द्वारा दिनांक 30.06.2016 को स्वीकृत किया गया है, से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 09.01.2017 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील ताबे उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर, अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया व रेस्पोडेण्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 ने बावजूद पर्याप्त तामिल के प्रकरण की सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

कलक्टर, नागौर

वकील अपीलान्ट ने मियाद प्रार्थना–पत्र के साथ अपना शपथ–पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट को हस्तगत

विवादित नामान्तरकरण की पहले जानकारी नहीं थी, अभी मौके पर हल्का पटवारी व आर.आई. मगाराम बनाम कमलकिशोर धारा 212 (2) राज.टि.एक्ट की कार्यवाही में एस.डी.ओ. कोर्ट खींवसर के आदेश से मौका देखने आये तब उन्होने बताया कि इन खसरान की भूमियों में तुलछी के देहान्त के पश्चात् फौतगी नामान्तरकरण उसके पुत्रों सहित सभी पुत्रीयों के नाम भी भरा गया है जिस पर अपीलांट ने दिनांक 05.01.2017 को खतौनी की नकले प्राप्त करने व दिनांक 06.01.2017 को हस्तगत म्यूटेशन की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने पर सर्व प्रथम इस नामान्तरकरण की जानकारी हुई तत्पश्चात दिनांक 07.01.2017 को शनिवार का व दिनांक 08.01.2017 को रविवार का अवकाश होने से आज दिनांक 09.01.2017 को यह अपील पेश की है, जो तारीख जानकारी से अन्दर मियाद शुमार करना न्यायोचित है। उपरोक्त परिस्थितियों में देरी माफ करते हुए अपील तारीख जानकारी से अन्दर मियाद शुमार करने का आदेश फरमानें का निवेदन किया।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथन पर विचार किया गया। प्रकरण में अपीलांट के मयाद प्रार्थना पत्र पर सहानुभूतिपूर्व विचार करते हुए अपीलान्ट की अपील की मेरिट पर सुनवाई की गई।

वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपील में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया अपीलाधीन म्यूटेशन के अन्तर्गत खेत खसरा नम्बर 1535/2925 रकबा 7 बीघा, खसरा नम्बर 1652 रकबा 5 बिस्वा गे.मु.ढाणी, खसरा नम्बर 1653 रकबा 89 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 1535 रकबा 8 बिस्वा वाके मौजा पींपलिया में स्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजी के खातेदार मगाराम, चुनाराम, कमलकिशोर व इनकी माता तुलछीदेवी थी तथा खसरा नम्बर 1535 में खातेदारी मगाराम, चुनाराम, नवलाराम पुत्र बुधाराम, तुलछी पत्नि जेठाराम थे क्योकि कमलकिशोर ने अपना हिस्सा नवलाराम को इस खसरे में से बेचान कर दिया था। पक्षकारान की माता तुलछी का देहान्त होने पर फौतगी नामान्तरकरण संख्या 731 दिनांक 30.06.2016 भरा गया, जो नामान्तरकरण विधि विरूद्ध भरा गया क्योंकि इससे पूर्व पक्षकारान अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 2 के मध्य विधिवत बंटवाडा होकर खातेदारी घोषणा हो चुकी है जिसकी केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों द्वारा पालना नहीं करने व रेकर्ड में बंटवाडा अनुसार अमल दरामद नहीं करने व तुलछी का बंट नहीं होते हुए भी रेकर्ड में तुलछी का नाम रहता चला आने से उसके आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 7 के नाम भी नामान्तरकरण के जरिये दर्ज कर दिया गया है जो विधि विरूद्ध है जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की है।

नामान्तरकरण स्वीकृत आदेश जैर अपील कतेई गलत, विधि विरूद्ध व न्याय के सामान्य सिद्धान्तों तथा नामान्तरकरण हेतु बनी विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना स्वीकृत किया होने से निरस्त किये जाने योग्य है। वादग्रस्त खसरान की भूमि का बंटवाडा व खातेदारी घोषणा का वाद सहायक कलक्टर मुख्यालय नागौर में दिनांक 31.07.2006 राजस्व वाद संख्या 54/2003 बअनवान कमलकिशोर बनाम मगाराम वगैरा का पूर्ण सुनवाई होकर निर्णित हो चुका है जिसमें वाद के पक्षकारान उस समय के खातेदार

कलक्टर, नागौर

कमलकिशोर, मगाराम, चुनाराम व तुलछीदेवी थे और तुलछीदेवी ने विवादित आराजी में अपना बंट नहीं रखा था, तीन भाईयों में बराबर बराबर बंटवाडा होकर खातेदारी घोषणा की डिक्री सक्षम न्यायालय द्वारा पारित की जाकर तहसीलदार खींवसर को पालना हेतु लिखा भी जा चुका था मगर तहसीलदार खींवसर द्वारा न्यायालय के निर्णय, डिक्री व आदेश की पालना में राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं किया और रेकर्ड में तुलछीदेवी का नाम रह गया, जिस पर अब अन्य रेस्पोडेन्ट से मिलीभगत कर हल्का पटवारी व तहसीलदार ने अपना निजी हित साधते हुए अपने कर्तव्य की पालना नही करते हुए विधि विरूद्ध, बिना पक्षकारों को सुने व न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए आनन–फानन में बाले बाले ही रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 7 का मौके पर कोई कब्जा व अधिकार नहीं होते हुए भी उनके नाम फौतगी म्यूटेशन में दर्ज कर नामान्तरकरण जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रुटि की है जो जैर अपील निरस्त योग्य है।

वादग्रस्त खसरान में पक्षकारो के मध्य विवाद होने पर एक वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन न्यायालय सहायक कलक्टर एस.डी.ओ. खींवसर कमलकिशोर बनाम मगाराम के प्रार्थना पत्र संख्या 51/13 धारा 212 आर.टी.एक्ट का पेश किया हुआ आज दिन विचाराधीन है, जिसमें दिनांक 20.05.2013 से आज दिन तक उपरोक्त खसरान के राजस्व रेकर्ड की, यथास्थिति बनाई रखने व किसी प्रकार का नामान्तरकरण नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित हो रखा है, ओर जिसकी पालना करने हेतु तहसीलदार खींवसर व हल्का पटवारी को आदेश की प्रति दिनांक 20.05.2017 पेश कर पावती भी अपीलांट द्वारा प्राप्त कि हुई है, जो आज दिन रेकर्ड में दर्ज है। तथा तहसीलदार खींवसर स्वयं उक्त प्रकरण में अप्रार्थी पक्षकार भी है, इसलिए उनको स्टे की जानकारी होते हुए भी न्यायालय की आदेश की अवहेलना करते हुए रेकर्ड में तब्दीली करते हुए हस्तगत नामान्तरकरण स्वीकृत किया है। जो विधि विरुद्ध होने से अपास्त योग्य है।

पूर्व में न्यायालय द्वारा बंटवाड़ा होने से इस वादग्रस्त खसरान का अंतिमतम निर्णय है। उसकी पालना सुनिश्चित करना राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियो का दायत्व था तथा इसके बाद भी उपरोक्त खसरान के संबंध में स्थगन आदेश रेकर्ड की यथास्थिति व नामान्तरकरण नहीं भरने का स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है जिससे साफ जाहिर होता है कि हल्का पटवारी व तहसीलदार खींवसर ने अन्य पक्षकारो के साथ अपना निजी हित भी साधते हुए नाजायज तौर से फायदा पहुंचाने की गरज से अवैध व विधि विरुद्ध आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरकरण आदेश निरस्त किया जाकर न्यायालय के बंटवाड़ा आदेश की पालना सुनिश्चित करवाई जाने का आदेश प्रदान करना न्यायोचित है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 8 नवलाराम खसरा नं. 1535 रकबा 8 बीघा में सहखातेदार है इसलिए आवश्यक पक्षकारो के संबंध में कोई कानूनी अड़चन नहीं हो इसलिए उसे भी फोरमल पक्षकार रेस्पोडेन्ट बनाया गया है। अपील माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार की है जो पूर्ण कोर्ट फीस व मियाद अधिनियम के आवेदन के साथ पेश है।

कलक्टर, नागौर

नागौर (राजस्थान)

वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 731 दिनांक 30.06.16 को अपास्त किया जाकर पूर्व की स्थिति बहाल करते हुए न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय नागौर द्वारा राजस्व वाद संख्या 54/2003 में पारित निर्णय दिनाक 31.07.2006 की पालना में बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कराने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

राजपैरोकार श्री कुन्दसिंह आचीणा ने वकील अपीलांट की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया की हस्तगत प्रकरण में तुलछी देवी पत्नि जेठाराम के फौत होने पर ग्राम पंचायत के मृत्यु प्रमाण पत्र एवं उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकृत किया है, जो सही होने का कथन करते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में तुलछी देवी पत्नि जेठाराम के फौत होने पर ग्राम पंचायत के मृत्यु प्रमाण पत्र एवं उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर वादग्रस्त भूमि के संबंध में नामान्तरकरण जैर अपील दिनांक 30.06.2016 को स्वीकृत किया गया है। वकील अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में राजस्व वाद संख्या 54/2003 कमलकिशोर बनाम मगाराम वगैरह में सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर द्वारा प्रस्तुत निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.07.2006 एवं 1.11.06 के अनुसार तहसीलदार खींवसर को राजस्व रेकर्ड अमल दरामद की कार्यवाही की जानी चाहिए थी, परन्तु तहसीलदार खींवसर द्वारा उक्त निर्णय एवं डिक्री के सन्दर्भ में कार्यवाही नहीं कर नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकृत कर दिया, जो कि विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त वकील अपीलान्ट द्वारा कथन किया गया है कि न्यायालय सहायक कलक्टर एस.डी.ओ. खींवसर कमलकिशोर बनाम मगाराम के प्रार्थना पत्र संख्या 51/13 धारा 212 आर.टी.एक्ट का पेश किया हुआ आज दिन विचाराधीन है, जिसमें दिनांक 20.05.2013 से आज दिन तक उपरोक्त खसरान के राजस्व रेकर्ड की, यथास्थिति बनाई रखने व किसी प्रकार का नामान्तरकरण नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित हो रखा है। ऐसी स्थिति में प्रकरण तहसीलदार खींवसर को पुनः विधि सम्मत निर्णय हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण जैर अपील निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार खींवसर को प्रतिप्रेषित कर इस निर्णय के विवेचन में दिये गये तथ्यो के सन्दर्भ में अपीलान्ट एवं संबंधित को सुनवाई आदि का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करने के निर्देश दिये जाते है। तहसीलदार खींवसर को उनका मूल नामान्तरकरण लौटाते हुऐ निर्णय की प्रति आवश्यकतानुसार भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर